संख्या–1186 / पांच–5–2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

1. **समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,** उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,**
   मण्डलीय / जिला / जिला संयुक्त चिकित्सालय,
   उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग– 5 **लखनऊ, दिनांक 31 मई, 2020**

विषय–प्रदेश के सभी क्रियाशील कोविड समर्पित एल–1, L-1 Attached एवं एल–2 चिकित्सा इकाइयों में मानव संसाधन के औचित्यपूर्ण तैनाती के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित शासनादेश सं0–737 / पांच–5–2020, दिनांक 27.03.2020 एवं सं0–777 / पांच–5–2020, दिनांक 03.04.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें इन चिकित्सा इकाइयों पर चिकित्सा एवं पराचिकित्सा कर्मियों के दल के गठन के सम्बन्ध में निर्देश समाहित थे।

यह देखा गया है कि कतिपय केन्द्रों पर भर्ती रोगियों की संख्या न्यून होने के उपरान्त भी कार्यरत टीम में समस्त मानव संसाधन का प्रयोग हो रहा है, जबकि कम मानव संसाधन से भी गुणवत्तापूर्वक कार्य किया जा सकता है तथा मानव संसाधन को संरक्षित कर आने वाली ड्यूटी में प्रयोग में लाया जा सकता है। इस प्रकार पी0पी0ई0 किट, एक्टिव क्वारेन्टाईन फैसिलिटी इत्यादि का भी औचित्यपूर्ण उपयोग हो सकेगा।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में निम्नलिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें:–

1. इकाइयों पर रोगियों की संख्या एवं गम्भीरता के दृष्टिगत मानव संसाधन की समानुपातिक औचित्यपूर्ण तैनाती की जाये। दल में सम्मिलित निम्न श्रेणी के अधिकारियों / कर्मियों हेतु निर्देश निम्नवत् हैं:–

एल–1 फैसिलिटी हेतु:–

श्रेणी	पूर्ण क्षमता हेतु मानव संसाधन के दल की संरचना प्रति शिफ्ट	50 प्रतिशत अथवा उससे कम बेड ऑक्यूपेन्सी के अनुसार संसाधन के दल की संरचना प्रति शिफ्ट
चिकित्सक	2	1
स्टाफ नर्स	2	1
वार्ड ब्वाय	1	1
स्वीपर	2	2
कुल	7	5

नोटः— एक फार्मासिस्ट एवं एक प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ प्रातः 10:00 से सांय 05:00 बजे तक ड्यूटी करेंगे।

एल—2 फैसिलिटी हेतु:— (10 वेन्टीलेटर युक्त)

श्रेणी	पूर्ण क्षमता हेतु मानव संसाधन के दल की संरचना प्रति शिफ्ट	50 प्रतिशत अथवा उससे कम बेड ऑक्यूपेन्सी के अनुसार संसाधन के दल की संरचना प्रति शिफ्ट
निश्चेतक	2	1
फिजीशियन / चेस्ट फिजीशियन	1	1
चिकित्सक	2	1
स्टाफ नर्स	2 वेन्टलेटर हेतु + 4 अन्य रोगियों हेतु	1 स्टाफ नर्स वेन्टीलेटर रोगी हेतु + 2 स्टाफ नर्स प्रति अन्य रोगियों हेतु
वार्ड ब्वाय / वार्ड आया	2	2
स्वीपर / स्वीप्रेस	2	2
कुल	15	10

नोटः— एक फार्मासिस्ट, एक प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ एवं एक एक्स—रे टेक्नीशियन प्रातः 10:00 से सांय 05:00 बजे तक ड्यूटी करेंगे।

100—150 शैय्यायुक्त L-1 Attached फैसिलिटी हेतु मानव संसाधन का विवरणः—

क्र0सं0	पदनाम	कुल सं0	विवरण
1	चिकित्साधिकारी	6	तीन शिफ्ट हेतु (प्रत्येक शिफ्ट में 02—01 एम0बी0बी0एस0 एवं 01 आयुष चिकित्सक)
2	स्टाफनर्स	6	तीन शिफ्ट हेतु (प्रत्येक शिफ्ट में 02)
3	प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ	2	दो शिफ्ट हेतु (प्रातः 02:00 से अपरान्ह 08:00 बजे तक एवं अपरान्ह 02:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक)
4	फार्मासिस्ट	2	दो शिफ्ट हेतु (प्रातः 02:00 से अपरान्ह 08:00 बजे तक एवं अपरान्ह 02:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक)
5	वार्डब्वाय	6	तीन शिफ्ट हेतु (प्रत्येक शिफ्ट में 02)
6	सफाईकर्मी	9	तीन शिफ्ट हेतु (प्रत्येक शिफ्ट में 03)
	कुल योग	31	

नोटः— 50 प्रतिशत से कम बेड आक्यूपेंसी होने पर एल—1 फैसिलिटी की पूर्ण क्षमता हेतु अनुमन्य मानव संसाधन के मानक को उपयोग में लाया जाएगा।

150—250 शैय्यायुक्त L-1 Attached फैसिलिटी हेतु मानव संसाधन का विवरणः—

क्र0सं0	पदनाम	कुल सं0	विवरण
1	चिकित्साधिकारी	6	तीन शिफ्ट हेतु (प्रत्येक शिफ्ट में 02— 01 एम0बी0बी0एस0 एवं 01 आयुष चिकित्सक)
2	स्टाफनर्स	9	तीन शिफ्ट हेतु (प्रत्येक शिफ्ट में 03)

3	प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ	2	दो शिफ्ट हेतु (प्रातः 02:00 से अपरान्ह 08:00 बजे तक एवं अपरान्ह 02:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक)
4	फार्मासिस्ट	2	दो शिफ्ट हेतु (प्रातः 02:00 से अपरान्ह 08:00 बजे तक एवं अपरान्ह 02:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक)
5	वार्डब्वाय	6	तीन शिफ्ट हेतु (प्रत्येक शिफ्ट में 02)
6	सफाईकर्मी	9	तीन शिफ्ट हेतु (प्रत्येक शिफ्ट में 03)
	कुल योग	34	

नोटः– 50 प्रतिशत से कम बेड आक्यूपेंसी होने पर एल–1 फैसिलिटी की पूर्ण क्षमता हेतु अनुमन्य मानव संसाधन के मानक को उपयोग में लाया जाएगा।

2. जिन एल–2 फैसिलिटी पर रोगी वेन्टीलेटर पर न रखा गया हो वहां पर निश्चेतक चिकित्सक एवं वेन्टलेटर हेतु आरक्षित स्टाफ नर्स की ड्यूटी न लगाई जाये।
3. फैसिलिटी पर रोगियों की संख्या कम होने पर चिकित्सक एवं स्टाफ की भी संख्या समानुपातिक की जा सकती है एवं इस प्रकार बचे हुये चिकित्सक एवं स्टाफ का उपयोग नॉन–कोविड ड्यूटी में लिया जा सकता है।
4. डेडिकेटेड कोविड फैसिलिटी पर चिन्हित/गठित समस्त चिकित्सकीय दल की रोस्टर बनाते हुये ड्यूटी लगाई जाये, जिससे किसी भी दल की ड्यूटी की बार–बार पुनरावृत्ति न हो।
5. एल–1, एल–1 अटैच्ड एवं एल–2 डेडिकेटेड कोविड फैसिलिटी पर कार्यरत चिकित्सकों एवं पराचिकित्सा कर्मियों के एक्टिव एवं पैसिव क्वारेन्टाइन हेतु आवासीय सुविधायें तथा भोजन हेतु मानक निर्धारण के सम्बन्ध में शाासनादेश सं0–216/पांच–9–2020, दिनांक 04.04.2020, संख्या–217/पांच–9–2020, दिनांक 05.04.2020 निर्गत किये गये हैं।

3– चिकित्सीय दलों के एक्टिव क्वारेन्टाइन में रहने के लिए आवासीय सुविधा हेतु धनराशि उपलब्ध कराये जाने पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि पैसिव क्वारेन्टाइन की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। अतः चिकित्सकीय दल के एक्टिव क्वारेन्टाइन हेतु पहली प्राथमिकता सरकारी गेस्ट हाऊस होंगे तदन्तर समीपस्थ अन्य सरकारी यूनीवर्सिटी/कालेज के हॉस्टल में व्यवस्था की जायेगी। इन भवनों में उपलब्धता न होने की स्थिति में एक्टिव क्वारेन्टाइन हेतु मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुये पैसिव क्वारेन्टाइन हेतु निर्धारित धनराशि की सीमा तक होटल/लॉज/निजी गेस्ट हाऊस पर व्यय किया जा सकता है।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने का कष्ट करें।

भवदीय,

31.5.20

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव

Pankaj/GO/COME-3

संख्या–1186(1)/पांच–5–2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
2. निदेशक, एन0सी0डी0सी0, भारत सरकार, 22 शामनाथ मार्ग, दिल्ली– 110054
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हस्ताक्षर)

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
उप सचिव,